"सीमा संदेश" 23.01.98

क्षेत्र में फल-फूल रहा है अवैध गैस का व्यापार : जानलेवा हादसों की संभावना

श्रीगंगानगर, 22 जनवरी। इस पूरे संभाग में अवैध रूप से एल.पी.जी. गैस की बिक्री व छोटे सिलेण्डरों में गैस का भरना जैसा व्यापार फल-पूल रहा है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जैसे बड़े नगरों के साथ-साथ छोटे-छोटे कस्बों में भी यह धंधा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है जबकि इससे कभी भी कोई जानलेवा हादसा हो सकता है। गत 12 जनवरी को ऐसा ही एक सिलेण्डर फटने से नई दिल्ली के भजनपुरा क्षेत्र में नौ व्यक्ति घायल हो गए। वहां बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रही थी।

एसोसिएशन ऑफ पैरलल एलपीजी मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स नई दिल्ली ने इस दुर्घटना के कारण देश के प्रमुख समाचार-पत्रों व अधिकारियों का ध्यान इस तरफ दिलाते हुए अवैध सिलेण्डरों व गैस का भरने व बिना लाइसैंस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। इस एसोसिएशन के अनुसार बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में एलपीजी गैस का स्थानांतरण करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यह स्टेफिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्ज 1981 के अन्तर्गत आता है व यह कार्य केवल मुख्य नियंत्रक (विस्फोटक) नागपुर द्वारा जारी लाइसैंस के अन्तर्गत बॉटलिंग प्लांट में ही किया जा सकता है। एलपीजी गैस से भरा हुआ मानक सिलेण्डर केवल घरेलू इस्तेमाल के लिये सार्वजनिक वितरण प्वाइंट द्वारा सप्लाई किया जाता है परन्तु राज सहायता प्राप्त घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रयोग एक दण्डनीय अपराध माना जाता है। इसके अलावा छोटे सिलेण्डर जो आई.एस.आई. मार्का न होने पर खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। सिलेण्डरों का विनिर्माण मुख्य नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करके, कठोर, सुरक्षा सावधानियां और मानक विशिष्टयों के अनुसार किया जा सकता है।

इसका अवैध कार्य आई.एस.आई. प्रमाणीकरण और मानक अलॉय स्टील जो केवल स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है, के बिना लघु उद्योगों के किया जाता है। इस प्रकार अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति कम कीमत पर इस अवैध सिलेण्डरों को रोशनी के लिये बेचते हैं परन्तु इससे भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं। उपभोक्ता इसकी गुणवत्ता की कसौटी खरीदते हैं, परन्तु इससे उन पर यह खतरा कमजोर बॉडी सिलेण्डर के कारण मंडराता रहता है। यह सिलेण्डर रोशनी के अलावा इंधन के लिये भी एक कि.ग्रा. से 5 कि.ग्रा. बिना आई.एस.आई. प्रमाणीकरण के अनाधिकृत रूप से निर्मित कर इनमें गैस भरकर बेचा जाता है। जबकि लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस रेगुलेशन्स एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 93 से 95 के अनुसार बिना आई.एस.आई. प्रमाणीकरण का गैस सिलेण्डर बेचना या एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस भरना एक दण्डनीय अपराध है।

छोटे सिलेण्डरों के अनुसार बड़े सिलेण्डरों द्वारा एल.पी.जी. का वितरण व विपणन करने के लिये कुछ फ्रॉड कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के कारण पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना 1995 ने बिना रेटिंग तय कराये कार्य करने पर रोक लगा दी है। परन्तु इसके बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में ऐसी कम्पनियां धोखाधड़ी कर एल.पी.जी. गैस का वितरण का कार्य कर रही है जिनकी रेटिंग भी तय नहीं है व उनके पास लाइसैंस तक नहीं है व राजकीय सहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलेण्डरों से गैस निकालकर बेच रहे हैं। जनता से धोखाधड़ी व उनके जीवन से खिलवाड़ करने वाले संबंधित लोगों पर रोक लगाने की मांग उक्त एसोसिएशन ने की है।